अध्याय - X

केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम

10.1 परमाण् ऊर्जा विभाग

10.1.1 अवकाश नकदीकरण पर अनियमित भ्गतान

डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों से विचलन में अर्धवेतन अवकाश/बीमारी अवकाश के नकदीकरण के परिणामस्वरुप वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

अप्रैल 1987 में लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एकाकी केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम विभाग (सी.पी.एस.ई.) अपने कर्मचारियों हेतु भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के विस्तृत मानदंडों के अन्दर अवकाश नियमों को तैयार कर सकता है।

भारत सरकार ने 1 सितम्बर 2008 से प्रभावी सेवा निवृति पर अधिकतम 300 दिनों की सीमा के भीतर अर्धवेतन अवकाश (एच.पी.एल.) तथा अर्जित अवकाश (ई.एल.) के नकदीकरण किये जाने की अनुमित प्रदान की। अप्रैल 1987 के डी.पी.ई. के पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों से उनके कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम 300 दिनों की सीमा का पालन अपेक्षित था।

17 जुलाई 2012 को डी.पी.ई. ने स्पष्ट किया कि बीमारी अवकाश का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है तथा अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण सेवानिवृति पर अधिकतम 300 दिनों की समग्र सीमा तक किया जा सकता है। इन स्पष्टीकरणों को 17 दिसम्बर 2012 तथा 7 फरवरी 2014 को दोहराया गया था।

इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) अवकाश नकदीकरण पर डी.पी.ई. दिशानिर्देशों से भटक गया तथा इसके कर्मचारियों को बीमारी अवकाश का नकदीकरण, 300 से ज्यादा दिनों पर अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण का अतिरिक्त भुगतान तथा अंतिम आहत वेतन की आधी दर पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की बजाय अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण पर पूर्ण वेतन पर महंगाई भत्ते का भुगतान

की ओर वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (जुलाई 2017) कि अर्धवेतन अवकाश तथा बीमारी अवकाश के नकदीकरण के लाभ नियमों को 30 से ज्यादा वर्षो पहले तैयार तथा कार्यान्वित किया जा चुका था तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अहम हिस्सा बन चुका था। इसने आगे बताया (अक्टूबर 2017) कि भारत सरकार द्वारा क्रेडिट के साथ-साथ अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश तथा बीमारी अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी तैयार किये गए नियम आई.आर.एल. पर लागू नहीं हैं। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (7 फरवरी 2013) था कि (i) कम्पनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के अर्जित/अर्धवेतन/बीमारी अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में कम्पनी के मौजूदा नियमों को जारी रखा जायेगा और (ii) डी.पी.ई. के स्पष्टीकरण के अनुसार सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण हेतु अनुमित प्रदान किये गए अधिकतम दिनों को, शामिल करते हुए, नवागुन्तक कर्मचारियों हेतु अर्जित/अर्धवेतन/बीमारी अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नए नियम तैयार किये जायेंगे। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद, कम्पनी ने स्वीकार्य महंगाई भत्ते की आधी दर पर अंतिम आहत वेतन को मंजूर कर तात्कालिक प्रभाव के साथ अर्धवेतन अवकाश नकदीकरण की विधि को परिशोधित (जून 2017) किया।

कम्पनी का उत्त्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि भारत सरकार के नीति दिशानिर्देशों के मानदंडों से परे किये गए अवकाश नकदीकरण को अप्रैल 1987 के डी.पी.ई. निर्देशों के अनुसार मंजूर नहीं किया गया था। आगे, डी.पी.ई. ने विशेष तौर पर स्पष्ट किया (जुलाई 2012) कि चूँकि सरकारी दिशानिर्देश बीमारी अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं देते हैं तो इसका सी.पी.एस.ई. द्वारा नकदीकरण नहीं किया जा सकता है तथा अर्जित अवकाश व अर्धवेतन को सेवानिवृति पर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश नकदीकरण के लिए विचार किया जा सकता हैं। इस प्रकार बीमारी अवकाश के नकदीकरण, एच.पी.एल. नकदीकरण में महंगाई भत्ते की गलत गणना तथा कर्मचारी जिनकी 6 फरवरी 2013 से पहले नियुक्ति हुई हैं, के सम्बन्ध में, सेवानिवृति पर 300 दिनों से ज्यादा अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण डी.पी.ई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन था तथा वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अविध के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भ्गतान किया गया।

सितम्बर 2017 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उतर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

10.1.2 थोक विद्धुत आपूर्ति समझौते के गैर-नवीकरण के कारण से आयकर/ न्यूनतम वैकल्पिक कर का अतिरिक्त भार

कम्पनी को आयकर मामलों की वसूली हेतु प्रावधानों को विधिवत शामिल करते हुए के.एस.ई.बी. के साथ थोक विद्धुत आपूर्ति समझौते के गैर-नवीकरण की वजह से ₹ 4.60 करोड़ के आयकर न्यूनतम वैकल्पिक कर का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा।

मेसर्स न्यूक्लीयर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) ने केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (के.एस.ई.बी.) तथा चार अन्य थोक विद्धुत प्राप्तकर्ताओं (बी.पी.आर.) के साथ इसके कैगा विद्धुत उत्त्रपादन केंद्र (के.एस.जी.) द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री हेतु थोक विद्धुत आपूर्ति समझौता (बी.पी.एस.ए.) किया (दिसम्बर 2000)। समझौता, इकाई ॥ हेतु 16 मार्च 2000 से 15 मार्च 2005 तक तथा इकाई । हेतु 16 नवम्बर 2000 से 30 जून 2005 तक वैध था।

समझौते की शर्तों के अनुसार कम्पनी पर आयकर देयता के मामलों को बी.पी.आर. से वसूल नहीं किया जाना था। आगे, यदि बी.पी.आर. समझौते की समाप्ति के पश्चात बिना किसी नवीकरण या औपचारिक विस्तार के बाद भी बिजली लेना जारी रखता है, तब समझौते के सभी प्रावधान का संचालन जारी रहेगा।

समझौते की समाप्ति पर कम्पनी ने 2008 से 2011 के दौरान बी.पी.आर. के साथ नए समझौतों में नवीकरण/प्रविष्टि की (के.एस.ई.बी. के अलावा) तथा कम्पनी की ओर से बी.पी.आर. से कर देयता के मामलों की वसूली हेतु एक नियम शामिल किया। हालाँकि के.एस.ई.बी. के अनुरोध के बावजूद (जनवरी 2018) के.एस.ई.बी. के साथ कोई भी नवीकृत/नया समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने उसके द्वारा प्राप्त की उर्जा के अनुपात में आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान किए गए आयकर/न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) की ओर के.एस.ई.बी. के अलावा चार बी.पी.आर. पर 2005-06 से 2010-11 के दौरान ₹ 115.32 करोड़ का दावा किया। बी.पी.आर. द्वारा दावों का भुगतान किया गया। हालाँकि, के.एस.ई.बी. द्वारा दिसम्बर 2000 के बी.पी.एस.ए. में संबंधित नियम के अभाव में ₹ 6.78 करोड़ की राशि वाले आयकर/एम.ए.टी. के समान दावे को समयोजित नहीं किया गया था।

यद्यपि, के.एस.ई.बी., अच्छे व्यापार सबंधों के संकेत के रूप में, कंपनी के आयकर/एम.ए.टी. के दावों पर विचार करने पर सहमत हो गया (जून 2016), इसने बताया (अगस्त 2016) कि दावे पर उनके द्वारा कानूनी रूप से विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कर के समक्ष कोई भी भुगतान जो आयकर भुगतान हेतु उचित नियम के साथ विद्युत खरीद समझौते (पी.पी.ए.) के साथ समर्थित नहीं है, आपित्तियोग्य होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी, के.एस.ई.बी. को आयकर वस्ली के मामलों के भुगतान हेतु सितम्बर 2007 तथा मार्च 2008 में प्रस्तुतीकरण दे चुका था जो इस पर सहमत नहीं था। इसी अविध के दौरान, कंपनी ने एक बी.पी.आर. (तिमलनाडु विद्युत बोर्ड) के साथ समझौते को नवीकृत किया (फरवरी 2008) जिसमें आयकर मामले की वस्ली पर एक खंड शामिल है। इस प्रकार, इसके वित्तीय हितों को संरक्षित करने के लिए, कंपनी को के.एस.ई.बी. के साथ समझौते को नवीकृत कराने हेतु वर्ष 2008 में समय पर कार्यवाही करना चाहिए था तथा आयकर वस्ली मामले हेतु नियम शामिल करना चाहिए था, जैसा कि अन्य चार बी.पी.आर.एस. के साथ नवीकरण के समय पर शामिल किया गया था। यह तब 2008-09 से आगे आयकर मामले में ₹4.60 करोड़ की वस्ली कर सकता था।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि कंपनी, के.एस.ई.बी. के साथ दावों के अनुकरण का निर्णय ले चुकी है तथा तदनुसार दावों की वसूली हेतु मामला के.एस.ई.बी. के समक्ष उठाया गया।

इस प्रकार कंपनी को ₹ 6.78 करोड़ की सीमा तक आयकर/एम.ए.टी. के अतिरिक्त भार को उठाना पड़ा जिसमें कम से कम ₹ 4.60 करोड़ टाला जा सकता था, यदि कंपनी ने 2008 में के.एस.ई.बी. के साथ बी.पी.एस.ए. को नवीकृत करने का निर्णय समय पर लिया होता (दिसम्बर 2018)।

अक्दूबर 2017 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2017)।

10.2 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

10.2.1 डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों का गैर-अन्पालन

प्रोत्साहन योजना की गैर-मंजूरी के कारण अनियमित भुगतान तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के कारण कर्मचारियों को ₹ 6.85 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(क) कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने नवंबर 1997 में स्पष्ट किया कि "केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सी.पी.एस.ई. द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के प्रावधानों अथवा पूर्व अनुग्रह के संबंध में डी.पी.ई. द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों के तहत हकदारी के अलावा किसी अनुग्रह, मानदेय, ईनाम, आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विधिवत रूप से स्वीकृत प्रोत्साहन योजना के तहत राशि प्राधिकृत नहीं हो जाती है।" इसके अतिरिक्त, प्रति माह ₹ 3,500

से अधिक (अप्रैल 2006 से बढ़कर ₹ 10,000 प्रति माह और अप्रैल 2014 से ₹ 21,000 प्रति माह) मजदूरी/वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बोनस, अनुग्रह, मानदेय, नकद पुरस्कार और विशेष प्रोत्साहन आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि राशि विधिवत रूप से स्वीकृत प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकृत नहीं होती।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) के पास अनुग्रह, इनाम, मानदेय आदि के भुगतान के लिए कोई विधिवत स्वीकृत योजना नहीं थी। हालांकि, उसने अपने कर्मचारियों को लगातार संयंत्र निष्पादन प्रोत्साहन राशि (पी.पी.आई.)⁵² का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 2003-04 से 2015-16 की अविध के दौरान ₹ 3.77 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 के दायरे से बाहर कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए पी.पी.आई. के भुगतान की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर एक नई नीति (निष्पादन प्रोत्साहन योजना) तैयार की गई है। नई योजना के कार्यान्वयन के बाद, पी.पी.आई. की वर्तमान प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा।

कंपनी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की जिसे उसके निदेशक मंडल के द्वारा (नवंबर 2017) मंजूरी दी गयी। हालांकि, 2003-04 से 2015-16 तक पी.पी.आई. के कारण कर्मचारियों को किए गए ₹ 3.77 करोड़ के अनियमित भ्गतान की वसूली के लिए कार्रवाई प्रतीक्षित है।

(ख) अर्जित अवकाश नकदीकरण पर कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के निर्देशों (अप्रैल 1987) के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों के अंतर्गत अवकाश नियमावली तैयार कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अर्जित छुट्टी (ई.एल.) नकदीकरण की गणना के लिए 30 दिनों के बजाय 26 दिनों के समय को एक महीने के रूप में अपनाया था जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, डी.पी.ई. ने यह भी स्पष्ट किया (दिसंबर 2008) कि संपूर्ण सी.पी.एस.ई. में ई.एल. के नकदीकरण की गणना की पद्धित में एकरूपता लाने के लिए, सी.पी.एस.ई. को छुट्टी के नकदीकरण की गणना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 30 दिनों को एक माह के रूप में अपनाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि कंपनी ने एक महीने में 30 दिनों की बजाय 26 दिनों के लिए अपने कर्मचारियों को ई.एल. नकदीकरण का भ्गतान किया।

-

⁵² बोनस का भ्गतान अधिनियम, 1965 के अन्सार बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों को छोड़कर

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

इसके परिणामस्वरूप ई.एल. नकदीकरण के कारण इसके कर्मचारियों को ₹ 3.08 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2017) कि बोर्ड ने एक माह में 30 दिनों के आधार पर ई.एल. नकदीकरण की गणना की पद्धित को मंजूरी (अप्रैल 2017) दी है और उसे जून 2017 से लागू किया गया है।

यद्यपि कंपनी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और डी.पी.ई. निर्देशों के अनुरूप ई.एल. नकदीकरण की पद्धति को परिवर्तित कर दिया है, तथापि यह तथ्य है कि कंपनी ने डी.पी.ई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ई.एल. नकदीकरण पर ₹ 3.08 करोड़ का अतिरिक्त भगतान किया था।

अक्टूबर 2017 में मंत्रालय को इस मामलें की सूचना दी गई; उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2017)।

(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नर्ड दिल्ली

नई दिल्ली

दिनांकः 05 फरवरी 2018

दिनांकः 06 फरवरी 2018

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक